कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)
(आदिवासी विकास शाखा)

Phone No. 07856-252441, Fax No.07856-252441 Email ID : actd.dantewada@nic.in

–: तृतीय विज्ञापन :–

क्रमांक/..1505../आ.वि./स्था./व.अ.भ./2022 **दन्तेवाड़ा, दिनांक ..27../...9../2022**

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सुचारु कियान्वयन हेतु जिला स्तर पर तथा चिन्हित अनुभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में कमशः जिला परियोजना समन्वयक एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता की नियुक्ति किया जाना है। यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे एवं निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अन्तर्गत समिति होंगे। पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	मानदेय (यात्रा व्यय सहित)	पद की संख्या	निर्धारित अवधि	स्तर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला परियोजना समन्वयक	18000/–	01	09 माह	जिला स्तर	प्रत्येक संबंधित जिले में एफआरए प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना
2	क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर)	15000/–	01	09 माह	अनुभाग स्तर अनुभाग दन्तेवाड़ा	प्रत्येक संबंधित जिले में चिन्हित अनुभाग स्तर पर गठित एफआरए प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना।
3	क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर)	15000/–	01	09 माह	अनुभाग स्तर अनुभाग बड़ेबचेली	--,,--

(मानदेय में उच्च कुशल श्रमिक हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित मासिक वेतन दरें तथा यात्रा व्यय शामिल है)

पात्रता की शर्ते निम्नानुसार है–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि धारक हो। कम्प्युटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए।
2. वन अधिकार अधिनियत 2006 के कियान्वयन का न्यूनतम तीनों वर्षो का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने अनुभव हो, इस हेतु छ.ग.राज्य राज्य में कार्यरत् किसी शासकीय अथवा पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
3. अधिकतम आयु 01 जनवरी 2022 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।

निरंतर..2..पर

4. आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, इस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय परम्पराओं रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।

5. **आवेदन की प्रक्रिया तथा निर्धारित तिथि –**

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर दिनांक **06.10.2022** तक संयुक्त जिला कार्यालय में स्थित **कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दन्तेवाड़ा** में जमा करेंगे। नियत तिथि उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।

(ii) आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत सही पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों को निर्धारित तिथि अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने–जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा।

(iii) साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परीक्षण के उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा तथा साक्षात्कार की निर्धारित तिथि से दूरभाष/ई–मेल पर अवगत कराया जायेगा।

(iV) साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर/अध्यक्ष डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार समिति में मुख्यालय स्तर से विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।

(v) साक्षात्कार में प्राप्त अंको के मेरित के आधार सफल अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जायेगी। सफल प्रशिक्षार्थियों द्वारा 01 सप्ताह में ज्वाइनिंग देनी होगी अन्यथा ज्वाईन न करने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(Vi) पदस्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जायेगी। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

पद के कर्त्तव्य (जिला परियोजना समन्वयक)

1. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित सौंपे गये कार्य यथा एफआरए एमपीआर क्यूपीआर सभी ब्लॉक स्तर से एफआरए डाटा संग्रहण कर प्रस्तुत सहायक आयुक्त/जिला नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
2. वन अधिकार समितियों के सदस्य/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना। फील्ड वर्कर के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करना।
3. डीएलसी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण एवं डाटा का प्रस्तुतिकरण करने में सहयोग करना।
4. फील्ड विजिट करना तथा समस्याओं के संबंध में संबंधित व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों तथा शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों से चर्चा का समाधान निकालना।

निरंतर....3......पर

5. व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को पोस्ट क्लेम में सपोर्ट करना।
6. जिला स्तर एवं अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।
7. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर/अनुभाग स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
8. जिला अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
9. जिला नोडल अधिकारी को रिपोर्टिंग करेंगे।

क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर)

1. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित सौंपे गये कार्य यथा एफआरए एमपीआर क्यूपीआर सभी ब्लाक स्तर से एफआरए डाटा संग्रहण कर प्रस्तुत कर अनुभाग अधिकारी राजस्व/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
2. वन अधिकार समितियों के सदस्य/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं समस्याओं का निराकरण में सहयोग करना।
3. एसडीएलसी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण एवं डाटा का प्रस्तुतिकरण करने में सहयोग करना।
4. फील्ड विजिट करना तथा समस्याओं के संबंध में संबंधित व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों तथा शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों से चर्चा का समाधान निकालना।
5. व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को पोस्ट क्लेम में सपोर्ट करना। इस हेतु संबंधित विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों से समन्वय स्थापित करना।
6. अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने सहयोग करना।
7. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर/अनुभाग स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
8. अनुभाग अधिकारी राजस्व/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नोडल अधिकारी को रिपोर्टिंग करेंगे।
9. वन अधिकार जैसे-व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं सामुदायिक वन संसाधन के दावे तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने में कठिनाई का निराकरण इत्यादि में सहयोग प्रदान करना।
10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

संलग्न : आवेदन प्रारूप।

for सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास,दंतेवाड़ा

निरंतर.....4...पर

पृ.क्रमांक/1505A/आ0वि0/स्था./व.अ.भ./2022 दन्तेवाड़ा, दिनांक 27/09/2022

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दन्तेवाड़ा/बड़ेबचेली।
3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, दन्तेवाड़ा।
   को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सहायक संचालक जनसंपर्क जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा को उपरोक्तानुसार प्रेस विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा/गीदम/कुआकोण्डा/कटेकल्याण।
6. तहसीलदार, दन्तेवाड़ा/बड़ेबचेली/गीदम/कटेकल्याण/कुआकोण्डा/बारसूर।
7. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत....................।
   को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. कार्यालयीन नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

for सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास,दंतेवाड़ा

आवेदन पंजीकरण संख्या
(कार्यालयीन उपयोग के लिये)

आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र

(आवेदित पद का नाम..................................अनुमान-........)

1. आवेदक का नाम :-..

2. पिता का नाम :-..

3. जन्मतिथि :-..

4. आवेदक की श्रेणी :-..
(सामान्य/एस.सी./एस.टी/ओ.बी.सी.) :-..

5. मूल निवास (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-..

:-..

:-..

6. निवास का पता ई-मेल सहित :-..

फोन/मोबाईल नम्बर :-..

:-..

:-..

7. शैक्षणिक योग्यता/ :-..

(प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-..

क्र.	बोर्ड परीक्षा का नाम	शामिल होने का वर्ष	परीक्षा परिणाम	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	हाई स्कूल			
2	हायर सेकेण्डरी			
3	स्नातक			
4	अन्य			

8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का अनुभव की कुल अवधि -..
(अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.	संस्था का नाम	कार्या अवधि		कार्यभार का प्रकार (विवरण देवें)
		कब से	कब तक	
1	2	3	4	5

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं .... घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी सही है। दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर -..

नाम-..

दिनांक-..